(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध)

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

प्रान्तीय कार्यालयः 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, भोपाल-४६२००३

दूरभाषः (0755) 2761225, **ई-मेलः** ***vidyabhartibpl@gmail.com,***

www.vidyabhartimp.org

पंजीयन क्र.-17195

पत्र क्रमांक : 863/2020 दिनांक-13/02/2020

प्रति,

श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य महोदय,

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ....

मध्यभारत प्रान्त

बन्धुवर,

सादर नमस्कार।

कृपया वि.भा.अ.भा. शिक्षा संस्थान के संलग्न पत्र का अवलोकन करें।

यद्यपि उपर्युक्त प्रावधान बजट पारित होने के पश्चात 1 जून 2020 से लागू होंगे तो भी हमे बाद में केवल क्रियान्वयन हेतु 2 माह का समय ही प्राप्त होगा क्योंकि अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2020 है।

अतः आप से आग्रह है कि अपने C.A. तथा आर्थिक सलाहकार से चर्चा कर आगे की कार्यवाही की पूर्व तैयारी कर लें जिससे बाद में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

संलग्न- वि.भा.अ.भा.का पत्र

धन्यवाद्।

(मोहनलाल गुप्ता)

प्रादेशिक सचिव

E:\P-July 19-20 Daly Letter

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान

प्रज्ञा सदन, सरस्वती बाल मन्दिर परिसर, महात्मा गांधी मार्ग, नेहरू नगर, नई दिल्ली-110 065,
टैलीफैक्स : 011-29840126, 29840013,

पत्रांक : वि.भा./......../2019-20 **दिनांक : 10 फरवरी2020**

प्रिय बन्धु

नमस्कार।

बजट 2020 संसद में आ चुका है। इस बजट में Trust को लेकर काफी बदलाव प्रस्तावित हैं। मैं आपका ध्यान ऐसे प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूँ ताकि आप उसके अनुसार समय पर कार्यवाही कर सकें। ये प्रस्ताव निम्नलिखित हैं –

1. सभी प्रस्ताव 1.06.2020 से लागू होंगे।
2. वर्तमान में जो समिति / Trust 12ए या धारा 10(23C) में पंजीकृत हैं उन्हें Form 10A में पुनः पंजीकरण के लिए 31.08.2020 तक आवेदन देना है। आवेदन मिलने पर CIT आपको एक Unique Identification Number देगा तथा 5 वर्ष के लिए 12ए का नवीनीकरण करेगा। भविष्य में 4½ वर्ष पूर्ण होने से पूर्व आपको नवीनीकरण के लिए आवेदन देना होगा।
3. जो ट्रस्ट या समिति नई बन रही है, वे 12ए कोई काम शुरु करने बिना आवेदन कर सकेगी। उन्हें CIT एक Provisional Regn. 3 वर्ष के लिए दे देगा। 2½ वर्ष बाद या काम शुरु करने के 6 माह के अन्दर (जो पहले हो) पुनः नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
4. जो ट्रस्ट / समिति काम कर रही हैं तथा अभी 12ए नहीं लिया है, वे जिस वर्ष से 12ए लेना चाहते हैं उन्हें वह वर्ष प्रारम्भ होने से 1 माह पूर्व आवेदन करना होगा। CIT इसमें 5 वर्ष के लिए पंजीकरण करेगा।
5. 80G के Approval व नवीनीकरण के लिए भी लगभग उपर जैसे ही प्रावधान हैं। उनका भी आवेदन उसी प्रकार से करना अनिवार्य है।
6. 80G जिन संस्थाओं के पास है उन्हें अब दानदाताओं की सूची निश्चित प्रपत्र में प्रतिवर्ष भेजना अनिवार्य होगा। समय से न भेजने पर Late Fee व दण्ड भी लगेगा।
7. पंजीकरण करते हुए या पुराने पंजीकरण को रद्द करते हुए CIT दो नए विषय भी विचार करेगा -
   i) यदि संस्था अपने उद्देश्यों से हटकर काम कर रही है तो पंजीकरण रद्द हो सकता है।
   ii) यदि संस्था किसी अन्य विधान का उल्लंघन करती है और उसके लिए उद्देश्यों के अनुसार काम करना संभव नहीं रहता है तो भी CIT पंजीकरण रद्द कर सकता है।
8. एक नई Penalty इस बजट में लाई गई है। इसके अनुसार यदि खातों में कोई झूठी Entry मिलती है तो 100 प्रतिशत का अर्थदण्ड लगेगा। इस झूठी Entry में यदि कोई अन्य व्यक्ति सहायक होगा तो उस पर भी 100 प्रतिशत अर्थदण्ड लगेगा। अतः अधिकतम लेन-देन A/c Payee चैक से करना ही ठीक है। उसको झूठा सिद्ध करना अत्यन्त कठिन होगा।

बजट पास होने पर एक विस्तृत पत्र पुनः भेजूँगा।

कृपया अपने यहाँ चर्चा करके आगे की उचित योजना बनाएँ।

धन्यवाद।

आपका

(जैन पाल जैन)

अ.भा. कोषाध्यक्ष